वर्ष 4, अंक 82 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

जुलाई 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

बहुत ही कम ऐसे अपराध होंगे जिनकी पाश्विकता और अधमता की तुलना बलात्कार से की जा सके। परन्तु यह अपराध तब कई गुना बढ़ जाता है जब अपराधी दंड से बचने के लिए पीड़िता से विवाह करने का प्रस्ताव करता है।

हाल ही में, चेन्नई में एक मामले में, एक बलात्कारी युवक 25 वर्षीय एक गूंगी लड़की के साथ विवाह करने को तैयार हो जाने पर उसका बलात्कार करने के दंड से बच गया। आरोपी तथा पीड़िता के बीच इस आधार पर समझौता हो गया। किन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अमानवीय अपराध करने वाला व्यक्ति यह रणनीति अपना कर साफ बच गया।

बलात्कार एक संज्ञेय, गैर-जमानती और अक्षम्य अपराध है। इसलिए, पीड़िता से विवाह करने के बाद भी अपराधी का दंड से बचाव न तो किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

एक दांडिक अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध होता है और इसलिए बलात्कारी को कठोर दंड दिया जाना चाहिए तथा विवाह करने के उसके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में मुकुंद अस्पताल में बलात्कार के आरोपी वार्डबॉय ने एक नर्स के साथ बलात्कार कर उसे बुरी तरह आहत कर दिया था और फिर

चर्चा में — बलात्कारियों के साथ विवाह

उससे विवाह कर लेने का प्रस्ताव कर दिया। लड़की ने यह कुत्सित प्रस्ताव तत्काल ठुकरा दिया। किन्तु इस समस्या का मूल भारतीय समाज की उस मानसिकता में है जो बलात्कारित लड़की को अपवित्र समझती है। परिणामस्वरूप, बाद में उसका विवाह लगभग असंभव हो जाता है।

लड़की को भावात्मक सहारा देने के बजाय, समाज उससे कन्नी काटता है। फलस्वरूप, उसके परिवार वाले बलात्कारी के साथ उसका विवाह कर देना कम अहितकर समझते हैं, किन्तु यह भूल जाते हैं कि तथाकथित विवाह के पश्चात, उस पर और अधिक कदाचार व अत्याचार हो सकता है।

इसलिए, समय की मांग समाज में यह जागरुकता पैदा करना है कि ऐसी लड़कियां परिस्थितियों की शिकार हैं और बेकसूर हैं। समाजच्युत किए जाने के बजाय, पीड़िता को एक सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता व समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, पीड़िता को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान भी होना चाहिए क्योंकि सरकार महिला का जीवन और प्रतिष्ठा बचाने में असफल रही है।

अंत में, इन पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए एक प्रगतिशील समाज की आवश्यकता है और उदार-हृदय युवाओं को इन आपदग्रस्त महिलाओं से बिना शर्त विवाह करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उनके परिवार आरोपियों के साथ उनका विवाह करने पर मजबूर न हों।

आयोग ने अनाथालय पर रिपोर्ट मांगी

राजस्थान में कोटा स्थित ऐम्मानुअल मिशन द्वारा संचालित अनाथालय में, जिसे इस समय राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग ने ले लिया है, हाल ही में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और पुलिस द्वारा बदसलूकी के कथित आरोप पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने राज्य के महिला आयोग से इस मामले की छानबीन करने तथा अनाथालय के बच्चों की सुरक्षा आश्वस्त करने को कहा है।

शिकायत कक्ष से

आगरा निवासी प्रेम नारायण ने आयोग की जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री रोमी शर्मा से शिकायत की कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी का विवाह उसके पिता द्वारा एक ऐसे व्यक्ति से किया जा रहा है जिसकी ओर से उसे 50,000 रुपये देने का वायदा किया गया है। प्रेम नारायण ने सुश्री शर्मा से यह विवाह रोक दिए जाने का आग्रह किया चूंकि उमा अभी नाबालिग है।

सुश्री शर्मा ने तुरंत ही भजनपुरा के डी.सी.पी. तथा थानेदार से संपर्क किया और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का कहा। थानेदार पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचा और ठीक समय पर यह विवाह रोकने में सफल हुआ।

अ-निवासी भारतीयों पर कार्यशाला

हाल ही में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अ-निवासी भारतीयों के विवाहों की समस्याओं पर दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि ब्रिटेन में पंजाब की 1200 महिलाएं आश्रय-गृहों में रह रही हैं।

अ-निवासी भारतीय विवाहों के घोटाले में भारतीय दूल्हों का विवाह भी शामिल है; ये लोग समझते हैं कि अ-निवासी भारतीय लड़की से उनका विवाह विदेश में अच्छा जीवनयापन करने का एक पासपोर्ट है।

इसअवसर पर बोलते हुए, आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संधियों के अभाव में, इस समय अ-निवासी भारतीयों से संबंधित समस्याएं प्रभावी रूप से नहीं सुलझाई जा सकती।

उन्होंने ऐसे बढ़ते हुए मामलों पर, विशेषकर पंजाब में, चिंता व्यक्त की जहां "अवकाश पत्नियां" ऐसे "मौज-मस्ती तलाश करने वाले अ-निवासी भारतीयों की शिकार बन जाती हैं जो भारत आते हैं, जल्द-फल्द किसी लड़की से विवाह करते हैं और फिर उसे छोड़ कर चले जाते हैं और कभी नहीं लौटते।"

उन्होंने कहा कि अ-निवासी भारतीयों की विवाह संबंधी समस्याएं ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में विशेष रूप से व्याप्त हैं और यूरोप, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड तक के कुछ भागों में चल रही हैं।

डा. व्यास ने कहा कि उपरोक्त देशों के उनके हाल के दौरे में उन्हें भारतीयों के संघों से भारी समर्थन प्राप्त हुआ और वे ऐसे अ-निवासी भारतीयों का ब्यौरा तैयार करने पर सहमत हो गये जिन्होंने भारत में अपनी वैध पत्नियों को छोड़ दिया है जो अब मन्दिरों तथा गुरुद्वारों में अपना जीवन बसर कर रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशों में हमारे दूतावासों एवं उच्चायुक्तों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि ऐसे विवाह एक निश्चित समयावधि में पंजीकृत किए जाने चाहिए, जो तीन मास हो सकती है, और अ-निवासी भारतीय तथा उसकी भारतीय पत्नी की संयुक्त फोटो उसके पासपोर्ट पर लगाई जानी चाहिए ताकि विवाह तोड़ कर दूसरा विवाह करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

अ-निवासी भारतीयों के विवाहों संबंधी अपराधों से निबटने के लिए, उन्होंने विदेशों में भारतीय दूतावासों में महिला कक्षों की स्थापना का सुझाव भी दिया। विदेशी भूमि पर संकट की स्थिति में फंसी महिलाओं की सहायता के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। बहुत अरसा पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय मूल के ऐसे अमेरिकी नागरिकों के बारे में जो विवाह करने के लिए भारत आते हैं एक परामर्शिका जारी की थी।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भूपिन्दर सिंह हूडा ने कहा कि अ-निवासी भारतीयों के साथ विवाहों संबंधी समस्याओं का समाधान केवल कानून पारित करके नहीं किया जा सकता; इसके लिए जागरुकता उत्पन्न करने तथा लोगों की मनोवृत्ति बदलने की भी आवश्यकता है।

अ-निवासी भारतीयों के विवाहों संबंधी कार्यशाला में आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास और हरियाणा के मुख्य मंत्री भूपिन्दर सिंह हूडा (नीचे) सामूहिक चर्चा करते हुए भागीदार

आदर्श महिला जेल, लखनऊ का दौरा

लखनऊ में आदर्श महिला जेल का मुआयना करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक समिति गठित की जिसमें सदस्या श्रीमति निर्मला वेंकटेश तथा उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव शामिल थे। नारी बंदी निकेतन, जो आदर्श महिला कारागार के नाम से भी जाना जाता है, 1954 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। यह तीन वर्ष से अधिक की सजायाफ्ता महिलाओं के सुधार और नवनिर्माण का कारागार है। इसलिए यहां कोई विचाराधीन बंदी नहीं हैं। मुआयने के समय, यहां 211 सजायाफ्ता महिलाएं रह रही थीं और अपनी माताओं के साथ वहां 6 वर्ष से कम की आयु के 35 बच्चे भी थे। कुल मिलाकर जेल की दशा संतोषजनक थी। चौका साफ-सुथरा था, छः बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधा उपलब्ध थी तथा बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच का प्रावधान था।

महिला बंदियों ने अपनी कुछ समस्याएं आयोग के सम्मुख रखीं, जैसे मुकदमा न्यायालय के न्यायनिर्णय की प्रतियां प्राप्त करने में कठिनाई। कुछ महिलाओं ने अन्य जिलों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से न मिल पाने के फलस्वरूप अपनी वेदना प्रकट की। समिति ने ये सिफारिशें कीं :

- सजायाफ्ता को सजा-माफी सहित न्यायिक घोषणा की प्रतियां स्वतः ही प्रदान की जानी चाहिए।
- अपने बच्चों एवं रिश्तेदारों से वे सुगमता से तथा बहुधा मिल सकें, इसलिए महिलाओं को अपने जिलों के जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- आयु एवं अपराध की गंभीरता के अनुसार महिला बंदियों को अलग-अलग रखा जाना आवश्यक है और प्रत्येक के लिए कार्य, अध्ययन, मनोरंजन आदि का एक दैनिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए।
- जेल अधीक्षक को अनिवार्यतः प्रति मास महिला बंदियों के साथ बैठकें करके उनकी समस्याओं की सुनवाई तथा निदान करना चाहिए।

सदस्यों के दौरे

- दुर्गापुर में बीरभूम के धन्यासरा ग्राम में 6-8 जुलाई, 2006 को राज्य स्तर के महिला लोक कलाकारों की प्रस्तावित कार्यशाला के संबंध में चर्चा करने के लिए सदस्या मालिनी भट्टाचार्य बीरभूम में सिउरी गयीं।

  त्रिपुरा राज्य में क्रियान्वित किए जाने वाले *'चलो गांव की ओर'* कार्यक्रम का उद्घाटन करने वह 2 जुलाई को अगरतला गयीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री मानिक सरकार, वहां के समाज कल्याण मंत्री श्री मानिक डे तथा त्रिपुरा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती तप्ति चक्रवर्ती इस समारोह में उपस्थित थे। सुश्री भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री को असम राइफल्स के कर्मियों द्वारा एक जनजाति महिला के कथित बलात्कार के मामले का स्मरण कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने गृह विभाग से आयोग को एक की-गयी-कार्यवाही रिपोर्ट भेजने को कहा है।

  कोलकता में वह पश्चिम बंगाल महिला आयोग के कार्यालय में राज्य के समाज कल्याण सचिव से मिलीं। इस बैठक में राज्य महिला आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। *'चलो गांव की ओर'* कार्यक्रम के क्रियान्वयन की एक योजना तैयार की गयी जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा।

- सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सदस्या नीवा कंवर सिक्किम गयीं। पहले दिन उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्यों तथा वर्ष 2006-07 की 'कार्ययोजना', विशेषकर सिक्किम संबंधी, पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के *'चलो गांव की ओर'* कार्यक्रम पर भी चर्चा की जो आयोग एवं राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से सिक्किम में क्रियान्वित किया जाना है।

  बाद में सुश्री कंवर ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री चामलिंग, मुख्य सचिव, समाज कल्याण सचिव तथा राज्य महिला आयोग के सचिव से विचार-विमर्श किया।

  उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि *'चलो गांव की ओर'* कार्यक्रम अधिक धूमधाम के साथ प्रारंभ करें क्योंकि इससे जनसाधारण में, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में, जागरुकता बढ़ेगी और इन महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षाएं आश्वस्त होंगी।

आयोग की सदस्या श्रीमती नीवा कंवर (बायें से पांचवीं) मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंगटोक में

राष्ट्रीय महिला आयोग की नयी सदस्या

सुश्री मंजु स्नेहलता हेमब्रोम जो इस समय अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की उप-सभापति, नक्सली हिंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्य दल की सदस्य, और राष्ट्रीय महिला संस्थान (झारखंड एकक) की अध्यक्ष हैं, 30 जून 2006 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनीं।

सुश्री हेमब्रोम, जो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, कई दशकों से महिलाओं, विशेषकर जनजातीय महिलाओं, की प्रगति और उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। प्रशासन एवं सामाजिक कार्य का उनका अनुभव राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए वरदान सिद्ध होगा। हम आयोग में उनका स्वागत करते हैं।

दैनिक जागरण के विरुद्ध शिकायत

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रेस परिषद् का ध्यान *दैनिक जागरण* में छपे बजाज मोटरसाईकिल के विज्ञापन की ओर आकर्षित किया है। आयोग ने बताया है कि इस विज्ञापन से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में वर्जित दहेज को बढ़ावा मिलता है।

विज्ञापन पर विचार करने के बाद, प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने *दैनिक जागरण* के सम्पादक को लिखा है कि इस विज्ञापन में सामाजिक बुराई को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति है। अखबारों को ऐसे विज्ञापन स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे सामाजिक व्यवस्था एवं कानून के प्रावधानों पर आंच आती हो।

महत्वपूर्ण निर्णय

महिला पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता : उच्चतम न्यायालय

किसी महिला पर बलात्कार को उकसाने का आरोप लगाया जा सकता है, किन्तु स्वयं बलात्कार का नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराते हुए कि सामूहिक बलात्कार में किसी महिला की भूमिका केवल पीड़िता की है, कहा कि यदि किसी मामले में उसका शामिल होना सिद्ध हो जाता है तो अधिक से अधिक उसे बलात्कार को उकसाने का दंड दिया जा सकता है।

लड़कियों के लिए सरकार द्वारा नकद प्रोत्साहन देने की योजना

नारी भ्रूण-हत्या की बढ़ती हुई बुराई एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने के प्रयोजन से सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत अपनी पुत्रियों की देखभाल करने के लिए माता-पिता को नकद प्रोत्साहन दिया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके अनुसार गरीब परिवारों को अपनी पुत्रियों के जीवन में कुछ विशेष पड़ावों में वित्तीय सहायता दी जायेगी जिनमें उन्हें स्कूल भेजना, उनकी नियमित स्वास्थ्य परीक्षा और स्कूल की परीक्षाओं में पास होना शामिल है।

आने वाले कानून

अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2006

अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 का दायरा बढ़ाने, अनैतिक व्यापारी को अपराध का केन्द्र-बिन्दु बनाने तथा विधान क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस विधेयक का संशोधन किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधियों को अधिक कठोर दंड देने और साथ ही पीड़ितों को दंडित करने वाली ध ाराओं को हटाने का भी प्रस्ताव है। 2006 का संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 मई 2006 को प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय दंड संहिता में 'बलात्कार' के स्थान पर यौन क्रिया प्रतिस्थापित किया जायेगा

संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता को प्रवर्तित करने के पश्चात्, केन्द्र द्वारा भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुसार, बलात्कार की पुनः परिभाषा करके आरोपी को अधिक कठोर दंड देने का प्रावधान किया जायेगा।

बलात्कार की परिभाषा बदलने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें यह भी विचार किया जा रहा है कि क्या वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया जाये। सरकार एक अमेरिकी अवधारणा - 'अभियोग सौदेबाजी' (प्ली बारगेन) - को भी कानून का अंग बनाने पर विचार कर रही है जिसके अनुसार आरोपी तथा पीड़ित के मध्य विभिन्न उपायों द्वारा जिनमें मुआवजा भी शामिल है, मामलों पर समझौता हो जाता है।

अभियोग सौदेबाजी के अतिरिक्त, इस विधेयक में ऐसे खंड हैं जो फौजदारी के मामलों में साक्षियों को धमकी में आकर गलत साक्ष्य देने से रोकते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस के लिए यह भी अनिवार्य बनाया गया है कि गिरफ्तार किए गये व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना तथा रखे जाने का स्थान भी बताए।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाईन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन